

07/11/2025
2025/826

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 8303

दिनांक 13/11/2025

उगवानी प्रकरण - चौगुनासिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या 207 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयवस्तुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक
07 / भूअ. / 2025 दिनांक 24/11/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम लिसाईया पटवार हल्का लिसाईया
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मुमे खाता संख्या 315 में खातेदार चौगुनासिंह
पुत्र चौपालसिंह के स्थान पर चौगुनासिंह पुत्र चौपालसिंह के चौपालसिंह का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का लिसाईया
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

उपखण्ड अधिकारी
(सीनिल कुमासीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 13/11/2025

कमांक / रीडर / 2025 / 8304-05
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का लिसाईया तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

